दिनांक 30.10.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

# कचरा फैलाने वाले 21 व्यवसासियों पर निगम ने लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी का उपयोग करने वालों के खिलाफ निगम की टीम कार्यवाही कर रही है। बाजार क्षेत्र होटल , ठेले व नाश्ता सेंटर वालों के द्वारा अनियंत्रित तरीके से गीला एवं सूखा कचरा को फेंकने वालों का भी निरीक्षण कर कार्यवाही कर किया जा रहा है! इसी के तहत जुनवानी चौक पर जोन 01 नेहरू नगर की टीम ने 05 व्यवसासियों से 1200 रूपए अर्थदंड वसूले और समझाइश दिए कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल, चाय नाश्ता ठेला व अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले जो गंदगी फैलाने व डस्टबिन नहीं रखने वालों पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्यवाही की। जोन 01 आयुक्त सुनील अग्रहरि की टीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही करने शाम को कार्यवाही करने विभिन्न चौक चौराहों व बाजार क्षेत्र का निरिक्षण किए। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने बताया कि जोन 01 अंतर्गत वार्ड कं 01 जुनवानी, वार्ड कं. 04 राधिका नगर एवं वार्ड कं. 7 सुपेला और वार्ड नं. 9 तथा वार्ड नं. 11 में ठेले पर चाय, नाश्ता, फास्ट फूड का व्यवसाय करते है, उनके द्वारा खाद्य पदार्थों के गीले एवं सूखे कचरे को आस पास ही अनियंत्रित तरीके फेंककर गंदगी फैलाने तथा नास्ता प्लेट व डिस्पोजल को एकत्र करने डस्टबिन नहीं रखने पर 05 व्यवसायियों से 1200 अर्थदंड वसूला गया। ठेले संचालकों को समझाईश दी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करना है इससे पर्यावरण को नुकसान होता है तथा गीला एवं सूखे कचरे को एकत्रित कर रखें और निगम के कचरा वाहन में डाले ताकि कचरे को व्यवस्थित किया जा सके। कचरा पसारने पर ओम क्षत्रिय से 300 सौ रूपए, मुकेश कुमार से नाशता सेंटर में कचरा फैलाने पर 200 सौ रूपए, हरि ओम स्मृतिनगर खुले में कचरा फेंकने पर 300 रूपए, पान सेन्टर से 200 रूपए, सुनील सिंह परिहार से 300 रूपए का अर्थदंड वसूला गया।